

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0316 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 30/12/2024 18:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 29/03/2022 Date To (दिनांक तक): 31/03/2022
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:20 बजे Time To (समय तक): 10:30 बजे

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/12/2024 Time (समय): 15:00 बजे

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय): 30/12/2024 18:32:21 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 350 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

- (b) Address(पता): I.E./5/3, RAILWAY OFFICER COLONY, RAILWAY STATION KOTA

- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): AMIT SINGH

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 13/01/1989 (d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE/POST-DHORMUI, BHARATPUR, UDHYOG NAGAR(BHARATPUR), BHARATPUR, RAJASTHAN, 321025,
2	स्थायी पता	VILLAGE/POST-DHORMUI, BHARATPUR, UDHYOG NAGAR(BHARATPUR), BHARATPUR, RAJASTHAN, 321025,

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AJAY KUMAR PAL		पिता: AKSHAYVAR NATH PAL	1. 2/123, VIKRANT KHAND, GOMTI NAGAR, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 8,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है निवेदन है कि दिनांक 31.03.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी अजय कुमार पाल पुत्र अक्षयवर नाथ पाल जाति बघेल (पाल) उम्र 34 साल निवासी ग्राम नयनपुर पुलिस थाना भदोही कोतवाली जिला सन्त रविदास नगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास नं0 आरई -ट/3 रेल्वे ऑफिसर कॉलोनी कोटा तत्कालीन वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.)कोटा मण्डल के सरकारी आवास की खाना तलाशी एसीबी मुख्यालय के निर्देशानुसार श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो कोटा के आदेशानुसार पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान एसीबी कोटा द्वारा ली गई थी। श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक एसीबी कोटा मय ए0सी0बी0 जासा श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री भरत सिंह कानि0 515, श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282, श्री बृजराज सिंह कानि0 159, श्री मिथलेश म0हैडकानि 128 मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय सरकारी वाहन मय चालक श्री हेमन्त सिंह कानि0 चालक 653 के कार्यालय एसीबी चौकी कोटा से रवानाशुदा सरकारी आवास आई ई /5/3 रेल्वे आफिसर्स कोलोनी रेल्वे स्टेशन कोटा पहुंचे जंहा पर मुख्य द्वार के बाहर पूर्व के उपस्थित वास्ते निगरानी श्री श्रवण कुमार विश्रोई पुलिस निरीक्षक मय श्री सतपाल कानि 317 एसीबी चौकी भरतपुर मिले जिन्हे हमराह लिया गया। श्री अजय कुमार पाल को एसीबी द्वारा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडे जाने से आरोपी के सरकारी आवास की तुरंत तलाशी लिया जाना आवश्यक होने तथा विलम्ब से चल-अचल सम्पत्ति /साक्ष्य खुर्द-बुर्द किये जाने की सम्भावना के मध्यनजर न्यायालय से तलाशी वारन्ट प्राप्त नहीं किया जा सका। आरोपी के सरकारी आवास के मेन गेट के बाहर से आवाज लगाई तो अंदर से महिला बाहर आयी, पुलिस निरीक्षक ने उस व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताया तथा उस महिला ने अपना नाम श्रीमति सुनीता पाल पति श्री अजय कुमार पाल उम्र 31 साल जाति बघेल होना बताया, कि मेरी उपस्थिति में घर की तलाशी ले सकते है। पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमति सुनीता पाल व उनकी मम्मी श्री रामवती को आने के उद्देश्य व प्रयोजन से अवगत करवाकर मकान की खाना तलाशी लेने बाबत पूछा तो श्रीमति सुनीता पाल ने उनकी मम्मी श्री रामवती क्री उपस्थिति में सरकारी मकान की तलाशी हेतु अपनी सहमति दी। इस पर पुलिस निरीक्षक ने स्वयं एवं टीम की जामा तलाशी बाबत कहां तो उन्होने स्वेच्छा से जामा तलाशी लेने से मना किया। इसके बाबजूद हमराही जासे व स्वतंत्र गवाहो की आपस में जामा तलाशी लिवायी गयी किसी के पास भी कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नहीं हुए। तत्पश्चात उक्त दोनो एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में मकान की खाना तलाशी नियमानुसार प्रारम्भ की गई। सरकारी मकान की खाना तलाशी का विवरण निम्नानुसार है:- बेडरूम नम्बर 01- इस कमरे में निम्न सामान मिले है जिनके सम्मुख स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित आरोपी के परिजनो द्वारा बताया गयी अनुमानित कीमत अंकित है:- 01- एक डबल बेड बॉक्स वाला लकडी का मय गद्दा- 25000रूपये 02- डबल बेड में इस्तेमाली कपडे,बेडशीट, रजाई, कंबल, बिस्तर -10000रूपये 03- एक पंखा छत-1500रूपये 04- दो ट्यूब लाईट-500रूपये 05- एक कूलर -10000रूपये 06- सोफा सेट तीन सीटर-10000रूपये 07- कम्प्यूटर टेबल- 3000रूपये 08- दीवार पर बनी अलमारी सोन्दर्य प्रशाधन के सामान व सजावट के सामान-5000रूपये 09- दो चेयर- 1500रूपये 10- एक लकडी का वार्डरोब जिसमें इस्तेमाली सात जोडी कपडे-3000रूपये 11- दो कार्टून जिनमें ऑफिस संबधी कागजात 12- एक काले रंग का बेग जिसमें निम्न सामान, राशि, बैंक संबधी दस्तावेज 1.दस जोडी इस्तेमाली कपडे साडिया 2. एक छोटा लेडीज ब्राउन बेग जिसमें निम्नानुसार राशि मिली- क्र0सं0 नोट का प्रकार संख्या

कुल 1.	500 रूपये	61	30500/-	2.	200 रूपये	02	400/-	3.
100 रूपये		03	300/-	4.	50 रूपये	01	50/-	5.
रूपये	01		20/-	6.	10 रूपये	01	10/-	7.

कुल -31280/-

उक्त राशि के बारे में पूछा गया तो श्रीमति सुनीता पाल ने उक्त राशि उनके माताजी श्रीमति रामवती की होना बताया गया। जिसकी तस्दीक उनकी माताजी श्रीमति रामवती ने भी की। उनका जबाब संतोषप्रद होने पर उक्त राशि श्रीमति रामवती को वापस लौटायी गयी। 3. बैग से पांच पांच सौ के 200 नोट कुल 100000/- रूपये मिले। 4. एक पीएनबी बैंक खाता नम्बर 1914000109398573 खाता धारक ललिता देवी शाखा दक्षिणी बार्ड देवरिया उत्तरप्रदेश की पास बुक 5. एक सिंडीकैंड बैंक के खाता नम्बर 87452200010990 की चैक बुक खाली खाता धारक रामवती देवी शाखा उधम सह नगर उत्तराखण्ड 6. एक पीएनबी बैंक की रामवती देवी के नाम की एफ0डी0 राशि 49000/- रूपये खाता संख्या 157800पीयू 00003564

जिसके भुगतान हेतु पीछे लिखा हुआ है। 7. पीली धातु के गले में पहनने का आभूषण(जूतिया-आरोपी की पत्नि के बतायेनुसार) जो छोटे मोतियों की माला में है 8. दो कानो की बालिया पीली धातु की 13- एक नीले रंग का बैग जिसमें इस्तेमाली पहनने के दस जोड़ी कपडे- 14- एक ग्रे रंग का ट्रोली बैग जिसमें इस्तेमाली पहनने के बारह जोड़ी कपडे 15- एक परपल रंग का बैग जिसमें इस्तेमाली पहनने के आठ जोड़ी कपडे 16- एक लोहे का वार्डरोब(आलमारी) जिसमें काले रंग के बैग में ब्राउन कागज की कैरी बैग जिसमें निम्न प्रकार के लिफाफो जिनके उपर कुछ नहीं लिखा हुआ है और लिफाफो के अन्दर भारतीय मुद्रा मिली जो निम्नानुसार है- (लिफाफो में मिली हुई राशि को लिफाफे के उपर अंकित किया गया है) क्र०सं०

लिफाफे का रंग	नोट का प्रकार	संख्या	कुल	01.पीला	500 रूपये	200	100000/-	02.पीला	500 रूपये
200	100000/-	03.पीला	500 रूपये	200	100000/-	04.	पीला	500	रूपये
रूपये	200	100000/-	05.	पीला	500 रूपये	200	100000/-	06.	
सफेद	500 रूपये	200	100000/-	07.	सफेद	500 रूपये	112		
56000/-	2000 रूपये	22	44000/-	कुल(सात लाख रूपये)	700000/-	17.	दो जेन्ट्स व चार लेडीज		

अंगूठी (पीली धातु की) (आरोपी के पत्नि के बतायेनुसार सोने के) 18. एक लेडीज पर्स में एक घडी व दो अंगूठी (पीली धातु की- आरोपी के पत्नि के बतायेनुसार सोने) उक्त क्रम संख्या 12 के बिन्दु संख्या 7,8 व क्रम संख्या 17 व 18 में मिले पीली धातु के आभूषणो के बारे में आरोपी की पत्नि एवं उपस्थित आरोपी की सास ने बच्चो के जन्म पर, बच्चो के जन्मदिवस पर एवं बेटी के शादी में दिया गया स्त्रीधन होना बताया जो स्त्रीधन होने से दुरस्त हालत में आरोपी की पत्नि सुनीता पाल को श्रीमति रामवती की उपस्थिति में लौटाये गये। 19. एक कागज के कैरी बैग में मिले निम्न दस्तावेज- 1. एक नीले फाईल कवर में पढाई संबधी दस्तावेज 2. एक एल0आई0सी0 के कवर में पॉलिसी नम्बर 303657517 किस्त10850/-प्रतिवर्ष जो अजय कुमार पाल के नाम है, पॉलिसी नम्बर 303657715 किस्त 10850/-प्रतिवर्ष जो अजय कुमार पाल के नाम है, पॉलिसी नम्बर 303775058 किस्त 20133/-प्रतिवर्ष जो अजीता पाल के नाम है। 3.अजय कुमार पाल के आधार कार्ड नम्बर 998450636219 की छायाप्रति, पेन कार्ड CBXPP5127M की छायाप्रति 4. स्टेट बैंक का पीपीएफ अकाउन्ट नम्बर 33615130619 की पास बुक जो खाली है 5. स्टेट बैंक के खाता नम्बर 20152528652 शाखा डीआरएम कोटा जक्शन, खाता धारक अजय कुमार पाल की पास बुक जिसमें दिनांक 29.06.20 के बैलेंस एवं मोड बैलेंस का कुल योग 956880/- रूपये है। 6. दी सेन्ट्रल रेल्वे एम्पलाईज को आपरेटिव्ह क्रेडिट सोसाईटी लि० के खाता नम्बर ई3380 जो अजय कुमार पाल के नाम है की पास बुक 7. एक पासपोर्ट जो अजय कुमार पाल के नाम का है जिसमें नम्बर एच6715279 8. एक एग्रीमेन्ट प्लॉट गोल्फ सिटी हाई टेक टाउनशिप लखनउ उत्तरप्रदेश जो रामवती के नाम था जिसे सुनीता पाल(आरोपी की पत्नि) के नाम किया गया है। 9. एक शिप्रा स्टेट लिमिटेड का प्लॉट एग्रीमेन्ट जो रामजस पाल ने सुनीता पाल (आरोपी की पत्नि) के नाम किया गया है। 10. एक स्टाम्प पचास रूपये का जिस पर शपथ पत्र में जितेन्द्र पाल ने सुनीता पाल (आरोपी की पत्नि) के नाम किया गया है। 11. एक स्टाम्प पांच हजार रूपये का जिस पर भूखण्ड आराजी खसरा संख्या 409स,410 कुल रकबा 1800 वर्गफीट जो सराय शेख(वी कोड 1076) जिला लखनउ में श्रीमती सुनीता पाल के नाम राशि 753000/-रूपये में खरीदा है। 12. एक एक्सिस बैंक कम्प्यूटर जनरेट स्टेटमेंट जिसका खाता नम्बर 91401039115202 जो खाताधारक सुनीता पाल के नाम है। बेडरूम नम्बर 02- इस कमरे में निम्न सामान मिले है जिनके सम्मुख स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित आरोपी के परिजनो द्वारा बतायी गयी अनुमानित कीमत अंकित है:- 01-एक डबल बेड बाक्स वाला लकडी का मय गद्दा- 30000 रूपये 02-डबल बेड में इस्तेमाली कपडे,बेडशीट,रजाई,कंबल,बिस्तर -10000 रूपये 03-एक पंखा छत -1500 रूपये 04-दो ट्यूब लाईट -500रूपये 05-एक विंडो हिताची कम्पनी ए०सी०-30000रूपये 06-एक ड्रेसिंग टेबल मय सौन्दर्य प्रसाधन के सामान-8000रूपये 07-एक लाल सूटकेस जिसमें महिला के इस्तेमाली कपडे -7000 रूपये 08-दीवार में इनबिल्ट लोहे की आलमारी जिसमें इस्तेमाली कपडे 20 जोड़ी -9000 रूपये 09-एक कपडे सुखाने का स्टेण्ड -2000 रूपये 10-एक चेयर -2000 रूपये 11-एक लोहे की आलमारी जिसमें निम्न सामान मिले- 01. इस्तेमाली कपडे महिला व बच्चे के 30 जोड़ी- -12000 रूपये 02. तीन पायल की जोड़ी (बच्चो के), दो कटोरी,दो गिलास,दो चम्मच,तीन जोड़ी कडे हाथो क (बच्चो के), एक छोटा पचास का नोट (50 ग्राम) सफेद धातु की (आरोपी की पत्नि के बतायेनुसार चांदी की) 03. आठ अंगूठी, तीन जोड़ी कान की बाली,एक जोड़ी कडे हाथो के (बच्चो के) पीली धातु के (आरोपी की पत्नि के बताये अनुसार सोने के) नोट:-उक्त क्रम संख्या 11 में वर्णित बिन्दु संख्या 2 व 3 के मिले पीली व सफेद धातु के आभूषणो के बारे में आरोपी की पत्नि एवं उपस्थित आरोपी की सास ने बच्चो के जन्म पर,बच्चो के जन्मदिवस पर एवं बेटी की शादी में दिया गया स्त्रीधन होना बताया जो स्त्रीधन होने से दुरस्त हालात में आरोपी की पत्नि सुनीता पाल को श्रीमति रामवती की उपस्थिति में लौटाये गये। बेडरूम नम्बर 03- इस कमरे में निम्न सामान मिले है जिनके सम्मुख स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित आरोपी के परिजनो द्वारा बतायी गयी अनुमानित कीमत अंकित है:- 01-एक सिंगल बैड लोहे के पाईप की फ्रेम मय गद्दा-10000 रूपये 02-सोफे की दो कुर्सीया -10000 रूपये 03-एक स्टील की टेबल -4000 रूपये 04-दो ट्यूब लाईट-500 रूपये 05-एक लकडी का पालना -7000 रूपये 06-बच्चो की साईकिल दो -4000 रूपये 07-प्लास्टिक की चार कुर्सीया-1500 रूपये 08-कार बैट्री वाली बच्चो की-7500 रूपये 09-बच्चो के खिलौने एवं बच्चो के गिफ्ट आईटम -20000 रूपये 10-दो पेंटिंग -500रूपये स्टोर रूम:- इस

कमरे में निम्न सामान मिले है जिनके सम्मुख स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित आरोपी के परिजनो द्वारा बतायी गयी अनुमानित कीमत अंकित है:- 01-एक फ्रीज रेफ्रीजरेटर -15000 रूपये 02-एक टेबल लकड़ी की -2000 रूपये 03-एक हेवल्स का गीजर-3000 रूपये 04-राशन का सामान-10000 रूपये 05-डीनर सेट व क्रोकरी सेट एवं अन्य सामान-10000 रूपये रसोई:- इस रसाई में निम्न सामान मिले है जिनके सम्मुख स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित आरोपी के परिजनो द्वारा बतायी गयी अनुमानित कीमत अंकित है:- 01-मार्फिन कम्पनी का माईक्रोवेव ओवन-7500रूपये 02-चूल्हा मय गैस सिलेन्डर इण्डेन कम्पनी का -10000रूपये 03-आर0ओ0 प्यूरिट-10000रूपये 04-बर्तन रखने का स्टेण्ड -2000रूपये 05-मिक्सी रिको कम्पनी की -2000रूपये 06-राशन सामग्री व इस्तेमाली बर्तन -5000रूपये ड्रोईंग रूम:- इस कमरे में निम्न सामान मिले है जिनके सम्मुख स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित आरोपी के परिजनो द्वारा बतायी गयी अनुमानित कीमत अंकित है:- 01-एक सात सीटर सोफा सेट-20000रूपये 02-सेन्टर टेबल -4000रूपये 03-02 पंखा छत-2000रूपये 04-02 ट्यूब लाईट -1000 रूपये 05-साईड कॉर्नर लकड़ी का स्टेण्ड-1000रूपये 06-दीवान मय गद्दा-10000रूपये 07-एक शू रैक लकड़ी की 07 जोडी -5000रूपये 08-एक लकड़ी, कांच का शोकेस दीवार से बना हुआ है जिसमें सजावटी सामान -3000 रूपये 09-एक एल0ई0डी0 टी0वी0 42 इंच मय म्यूजिक सिस्टम -50000रूपये 10-एक क्रम्पटन टेबल फोन -3000रूपये 11-बच्चो की दो साईकिल -4000रूपये 12-बच्चो का एक बाँकर -4000रूपये 13-दीवार पर फोटो फ्रेम-2000रूपये 14-एक कूलर डेजर्ट 7000रूपये डायनिंग हॉल:- इस डायनिंग हॉल में निम्न सामान मिले है है जिनके सम्मुख स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित आरोपी के परिजनो द्वारा बतायी गयी अनुमानित कीमत अंकित है:- 01- 1 छत का पंखा -1000 रूपये 02- 1 ट्यूब लाईट- 250 रूपये 03-दो सजावटी पेटिंग फ्रेम व अन्य सजावटी सामान-2000 रूपये 04-डायनिंग टेबल मय छः कुर्सी -20000 रूपये उपरोक्तानुसार खाना तलाशी नियमानुसार ली गई। दौराने खाना तलाशी मिले कमरा नम्बर 01में क्रम संख्या 16 पर अंकित काले बैग में लिफाफो में मिले सात लाख रूपये व क्र0सं0 12 के बिन्दु संख्या 3 पर काले बैग में मिले एक लाख रूपये का संतोषप्रद जबाब नही देने से कब्जे कब्जे ब्यूरो लिये गये तथा बैंक संबन्धी, प्रोपर्टी संबन्धी दस्तावेज व अन्य आवश्यक दस्तावेजो की छायाप्रति प्राप्त की गयी। उक्त राशि सात लाख रूपये व एक लाख रूपये कुल आठ लाख रूपये के अलावा अन्य कोई भी राशि , वस्तु व मूल दस्तावेज कब्जे ब्यूरो नही लिये गये है। बाद खाना तलाशी श्रीमति सुनीता पाल को पुलिस निरीक्षक मय टीम की तलाशी लेने हेतु कहा गया तो उन्होने यह बताते हुये कि सम्पूर्ण तलाशी हमारे समक्ष हमारी मौजूदगी में हुई है, तलाशी लेने से स्वेच्छा से मना कर दिया। तलाशी के दौरान पूर्ण मानवीयता व स्त्रीलज्जा को ध्यान में रखते हुये सौहार्दपूर्ण वातावरण में मकान की खाना तलाशी पूर्ण की गई। दौराने जांच खाना तलाशी आरोपी श्री अजय कुमार पाल तत्कालीन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोटा हाल उप मुख्य संरक्षा अधिकारी यातायात पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर मध्यप्रदेश के तत्कालीन सरकारी आवास मकान नं आई ई / 5 / 3 रेल्वे आफिसर्स कॉलोनी रेल्वे स्टेशन कोटा को उक्त राशि के सम्बंध में जरिए नोटिस कई बार जबाब मांगा गया परन्तु आरोपी अजयकुमार द्वारा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया और ना ही कोई जबाब दिया गया इससे प्रतीत होता है कि उक्त 08 लाख रूपये की राशि आरोपी द्वारा उसके रेल्वे कर्मचारियों से विभागीय जांचों से सम्बंधित कार्य करने में बतौर रिश्चित अवैध रूप से प्राप्त की गई है। अतः आरोपी अजय कुमार पाल पुत्र अक्षयवर नाथ पाल जाति बघेल (पाल) उम्र 34 साल निवासी ग्राम नयनपुर पुलिस थाना भदोही कोतवाली जिला सन्त रविदास नगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास नं0 आरई -5/3 रेल्वे ऑफिसर कॉलोनी कोटा हाल उप मुख्य संरक्षा अधिकारी यातायात पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर मध्यप्रदेश के सरकारी आवास की तलाशी में मिली संदिग्ध राशि कुल 8 लाख रूपये वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.)कोटा मण्डल के पदस्थापन के दौरान जानबूझकर खुद को सम्पन्न करने के आशय से एक दिवस की अवैध आय अर्जित किया जाना प्रमाणित पाया जाने पर धारा 13(1) (ई) , 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (अमित सिंह) अति. पुलिस अधीक्षक, एसीबी एस यू भरतपुर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अति. पुलिस अधीक्षक, एस. यू. भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1) (ई) , 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अजय कुमार पाल पुत्र अक्षयवर नाथ पाल जाति बघेल (पाल) उम्र 34 साल निवासी 2/123, विक्रांत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) (विभागीय सेवा विवरण के अनुसार निवासी), निवासी ग्राम नयनपुर पुलिस थाना भदोही कोतवाली जिला सन्त रविदास नगर उत्तर प्रदेश हाल निवासी सरकारी आवास नं0 आरई -ट/3 रेल्वे ऑफिसर कॉलोनी कोटा हाल वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.)कोटा मण्डल के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा एस.यू.कोटा। को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 392 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1749-52 दिनांक 30-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2-मैम्बर

ट्रेफिक, रेलवे बोर्ड(भारत सरकार के राष्ट्रपति की ओर से) 256-ए, रेल भवन रोड, नई दिल्ली पिन नम्बर 110001, 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस. यू. भरतपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

MUKUL SHARMA

Rank

अपर पुलिस अधीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)


14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/12/2024 18:27



15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	19/10/1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Bum Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)